

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 नवम्बर 2020—कार्तिक 19, शक 1942

पशु पालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2020

क्र. 2443-आर. 2694-2020-पैतीस.—मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1993 के नियम 3 के उपनियम (1) के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के भाग (क) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में निर्दिष्ट नामांकित में से सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु आव्हान किया जाता है.

No. 2443-R.2694-2020-XXXV.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 3 of the Madhya Pradesh State Veterinary Council Rules, 1993, the Govt. of Madhya Pradesh here by the calls upon the persons enrolled in Madhya Pradesh State Veterinary Register of elect members from among themselves for the Madhya Pradesh State Veterinary Council under the clause (a) of sub-section (1) of Section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) in accordance with the provisions of the said Rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेड. यू. शोख, उपसचिव.